न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 22/2020 (अपील)

GCMS No. 2020/00109

1. श्रीमति टीना सोनी पत्नि श्री अरविन्द सोनी जाति सोनी निवासी प्लॉट नं0 21, लक्ष्मण विहार प्रथम कुन्हाडी कोटा राजस्थान

––अपीलाण्ट

बनाम

1. सत्यनारायण सोनी पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल सोनी
2. श्रीमति विमला सोनी पत्नि श्री सत्यनारायण सोनी निवासी बी 571, प्रेम नगर अर्फोडेबल योजना, कोटा राजस्थान
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थन जरिये लोक अभियोजक कोटा राज0

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता ओर वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बनाराजगी निर्णय दिनांक 27.2.2020 प्रकरण संख्या 46/2019 अन्तर्गत धारा 5 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा बउनवान मुकदमा सत्यनारायण बनाम रीना सोनी वगै0

दिनांकः– 18 /11/2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 माता पिता ओर वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत सुनवाई कर दिनांक 27.02.2020 को आदेश पारित किया कि–" प्रार्थना पत्र स्वीकार स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीया श्रीमति रीना सोनी पत्नि स्व.श्री अरविन्द सोनी प्रार्थी पक्ष श्री सत्यनारायण सोनी पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जी सोनी एवं श्रीमति विमला देवी पत्नि श्री सत्यनारायण सोनी निवासी बी–571 प्रेमनगर अर्फोडेबल योजना, कोटा को 3500/––3500/– रूपये मासिक राशि दौनों के अलग अलग खातों में (श्री सत्यनारयण सोनी खाता सं.51017944486 एसबीआई बैंक, अनन्तपुरा ब्रांच– श्रीमति विमला देवी सोनी, खाता सं. 53560100000775 बैंक ऑफ बडौदा श्रीनाथपुरम ब्रांच) जमा करना सुनिश्चित करें ताकि दौनों पक्षों के मध्य आपसी प्रेम व्यवहार बना रहे एवं दौनों पक्ष एक दुसरे को किसी प्रकार के मिथ्या आरोप–प्रत्यारोप से प्रमाणित करने की कोशिश ना करें । "

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 05.06.2020 को लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं दस्तावेजात का अवलोकन किए बिना ही उक्त आदेश पारित किए एवं अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि अपीलान्ट एक विधवा एवं निराश्रित महिला है जिसके पति के निधन के पश्चात रेस्पो0 नं. 1 व 2 जो अपीलान्ट के सास एवं ससुर है ने अपीलान्ट को उसकी पुत्री सहित घर से निकाल दिया और अपने पति के निधन के पश्चात अपीलान्ट अपने बुर्जुग माता माता पिता के साथ निवास कर रही थी और वर्तमान में भी रेस्पोडेन्ट एवं उसके पुत्र उमेश की गलत हरकतों एवं चाल चलन की वजह से डरी हुयी होने से अपने पीहर में ही निवास कर रही है । अपने पति की मृत्यु के काफी समय पश्चात काफी संघर्ष के पश्चात अपीलान्ट अपने पति के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति पाकर वर्तमान में विद्युत

विभाग में सेवारत है किन्तु जैसे ही अपीलान्ट की नौकरी की सूचना रेस्पोडेन्ट को हुयी तो रेस्पोडेन्ट की नियत में खोट आ जाने से अपीलान्ट से रूपयो की मांग करने लगे जिस पर अपीलान्ट ने अपना धर्म समझते हुए रेस्पोडेन्ट को अपने साथ रखकर पूरी सेवा करने का आश्वासन दिया रेस्पोडेन्ट के लिए सरकारी आवास आवंटित करवाकर उनके साथ रहने लगी किन्तु रेस्पोडेन्ट का पुत्र उमेश भी रेस्पोडेन्ट के साथ जबरदस्ती अपीलान्ट के पास रहने लगा और रेस्पोडेन्ट का पुत्र उमेश अपीलान्ट के साथ आए दिन गलत हरकते करने लगा एवं कहता कि तुझे मुझसे शादी करनी पडेगी जिस पर अपीलान्ट ने अपने देवर उमेश की शिकायत अपने सास ससुर से की तो रेस्पोडेन्ट द्वारा भी अपीलान्ट को यह कहते हुए कि तेरा पति तो मर चुका है यह भी मेरा ही बेटा है और तूने मेरे बेटे की वजह से नौकरी प्राप्त की है । इसलिए तुझे इससे शादी करनी ही पडेगी और इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने अपने आवारा पुत्र उमेश की गलत हरकतों का ही पक्ष लिया और उमेश की आए दिन की हरकतों से अपीलान्ट काफी भयभीत हो गयी और अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए अपने पीहर चली गयी लेकिन पीछे से रेस्पोडेन्ट अपने पुत्र उमेश के साथ मिलकर अपीलान्ट का सारा सामान निकाल कर ले गए और तभी से रेस्पोडेन्ट और उनका पुत्र उमेश अपीलान्ट को नए नए रास्ते निकालकर परेशान कर रहे है । अपीलान्ट द्वारा अपने सास ससुर की सेवा करने में कभी कोई कसर नहीं छोडी है और आज भी अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को अपने साथ रखकर संपूर्ण हारी बीमारी और सेवा करना चाहती है । रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मात्र अपीलान्ट से ही भरण पोषण की रकम की मांग की जबकि रेस्पोडेन्ट के दो पुत्रियां एवं एक पुत्र उमेश मौजूद है जो काफी संपन्न है और चार पहिया वाहन रखते है । रेस्पोडेन्ट के भरण पोषण का दायित्व अपीलान्ट से ज्यादा रेस्पोडेन्ट की पुत्रियां एवं पुत्र उमेश का बनता है, उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड पर आ जाने के उपरान्त भी माननीय न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट से अपने पुत्र एवं पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाए जाने का कारण नहीं पूछा और प्रार्थीया को सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया जो सर्वथा अपास्त किए जाने योग्य है । अपीलान्ट एक विधवा निराश्रित महिला है जो अपनी पुत्री जो बहुत छोटी है और अब स्कूल जाने लगी है प्रार्थी को जो वेतन प्राप्त होता है वह अपनी पुत्री की पढाई लिखाई हारी बीमारी एवं जीवन यापन के लिए कम पड़ता है ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुसार रेस्पोडेन्ट को उक्त रकम मासिक अदा करेगी तो अपीलान्ट एवं उसकी पुत्री के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो जावेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.2.2020 को अपास्त किया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो हो वह भी दिलाए जाने के आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष पक्षकारान एवं वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई, ।

4. अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं कथन किया कि मै रेस्पोडेन्ट अपने सास ससुर को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ किन्तु रेस्पोडेन्ट का छोटा पुत्र मुझसे गलत हरकते करता है तथा रेस्पोडेन्ट यह चाहते है कि मैं उससे शादी करूं, जो मैं नहीं चाहती, उमेश की गलत हरकतों एवं छेडखानी करने के कारण मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महो0 कोटा शहर को परिवाद दिया था । रेस्पोडेन्ट के मेरे अलावा भरण पोषण के जिम्मेदार उनका छोटा पुत्र उमेश एवं दो पुत्रियां भी है, जिनको रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार भी नहीं बनाया । अपीलान्ट की एक छोटी पुत्री है जो स्कूल जाती है तथा अपीलान्ट स्वयं बीमार रहती है जिसमें काफी पैसा खर्च हो रहा है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय की गई भरण पोषण की राशि 3500/– 3500/– प्रतिमाह अदा करने में सक्षम नहीं हूँ । अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.2.2020 निरस्त कराना फरमावें ।

5. रेस्पोडेन्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत आदेश पारित किया गया है, इसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है । चूंकि अपीलान्टा रेस्पोडेन्ट की पुत्रवधु है जो उनके पुत्र की मृत्यु पश्चात उसके स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति मिली है, पुत्र की मृत्यु होने पर पुत्रवधु का दायित्व बनता है कि वह अपने सास ससुर का भरण पोषण का ध्यान रखें किन्तु अपीलान्टा द्वारा ऐसा नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश करने पर नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरण पोषण की राशि 3500/– 3500/– रेस्पोडेन्ट को प्रतिमाह भुगतान करने के निर्णय दिनांक 27.2.2020 से आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय की गई भरण पोषण की राशि का भुगतान के आदेश फरमावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 27.02.2020 के विरूद्व दिनांक 05.06.2020 को लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है । जो अन्दर मियाद नहीं है किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई कानूनी दस्तावेज अथवा न्यायिक दृष्टान्त पेश नहीं किया ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना उचित समझते है ।

7. अपीलान्टा रेस्पोडेन्ट सत्यनारायण सोनी एवं श्रीमति विमला सोनी की पुत्रवधु है, जो अपने पति एवं रेस्पोडेन्ट के पुत्र की मृत्यु पश्चात पति के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति पर राजकीय सेवा में बिजली विभाग में कार्यरत है, रेस्पोडेन्ट का कहना है कि उनका मृतक पुत्र ही उनकी सेवा एवं भरण पोषण करता था, उसकी मृत्यु पश्चात उनके भरण पोषण का दायित्व उसकी पुत्रवधु का दायित्व है । रेस्पोडेन्ट के कथन से हम सहमत है कि यदि पुत्रवधु मृतक बेटे के स्थान पर राजकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति पर कार्यरत है तो पुत्रवधु का कर्तव्य एवं कानूनी दायित्व है कि अपने सास ससुर के भरण पोषण का ध्यान रखें । किन्तु अपीलान्टा द्वारा भरण पोषण नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो राशि बतौर भरण पोषण तय की गयी है वह माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की मंशा के अनुरूप की गई है इसमें हम कोई दौष नहीं पाते है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.2.2020 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

8. परिणामतः प्रस्तुत अपील में तथ्यहीन होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.2.2020 यथावत रखा जाता है । तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते है कि तय की गई राशि की वसूली अपीलान्ट से की जाकर रेस्पोडेन्ट को दिलाई जावें तथा भुगतान नहीं करने की स्थिति में अपीलान्टा के विभाग को लिखा जाकर भरण पोषण की राशि रेस्पोडेन्ट को दिलाई जावें ।

9. निर्णय आज दिनांक **18.11.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/11/20

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा